रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 2001/कार्तिक 9, 1923
No. 550] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2001/KARTIKA 9, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 200

सा.का.नि. 812(अ).—लोक ऋण नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, लोक ऋण अधिनियम, 1944(1944 का 18)की धारा 28 की उपधारा(1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(i) में क्रमशः सा.का.नि. 581(अ) और सा.का.नि. 598(अ) द्वारा तारीख 6 अगस्त, 2001 और तारीख 22 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किए गए थे, जिनके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 7 अगस्त, 2001 और 23 अगस्त, 2001 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक ऋण नियम 1946 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक ऋण (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक ऋण नियम, 1946 में प्ररूप 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

प्ररूप 3

(नियम 7 देखिए)

(सभी एस.जी.एल व्यापारों, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक आधारित व्यापार भी है, में प्रयोग के लिए)

सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) में सहायक साधारण लेजर(एस.जी.एल) खाते में धारित स्टॉक के अंतरण के लिए प्ररुप

विक्रेता का संदर्भ संख्या _____ क्रेता का संदर्भ संख्या _____

(अ) **प्रतिभूतियों का अंतरण**

1. अंतरक (कों) (विक्रेता/विक्रेताओं) का (के) नाम ..... एस.जी.एल खाता (नामों के लिए) _____

2. अंतरिती (तियों)(क्रेता/क्रेताओं) का (के) नाम ..... एस.जी.एल. खाता(जमा के लिए) _____

3. यदि विक्रय घटक की ओर से है तो घटक का नाम .....

4. यदि क्रय घटक की ओर से है तो घटक का नाम.....

5. प्रतिभूतियों की विशिष्टियां

क्रम सं.	प्रतिभूति की नामावली	आई एस आई एन	अंकित मूल्य (रु. में)	प्रतिभूति का विक्रय मूल्य (प्रतिशत में)	प्रतिभूति की कुल लागत(रुपए में) (विक्रय मूल्य/100 X अंकित मूल्य)	प्रोदभूत ब्याज (रुपए में)

(आ) **संव्यवहार के ब्यौरे-तत्काल तथा रिपो संव्यवहारों के प्रथम चरण, दोनों के लिए लागू**

1. संव्यवहार का प्रकार -तत्काल/रिपो _____ 2. क्या यह आरबीआई है अथवा अन्तर्बैंक रिपो है _____

3. संविदा की तारीख _____ 4. समझौते की तारीख _____

5. आयकर, यदि कोई है (रु.) _____ 6. अन्य संदाय, यदि कोई है, (रु.) _____

7. प्रतिफल की रकम(शब्दों में) _____ रुपए

		दलाल कोड	दलाली की रकम
8.	क्रेता के लिए	_____	रु. _____
		दलाल कोड	दलाली की रकम
9.	विक्रेता के लिए	_____	रु. _____

(इ) **रिपो संव्यवहारों की बाबत ब्यौरे**

1. पुनःक्रय की तारीख (2 रा चरण) [ ]

2. पुनःक्रय दरार दर (प्रतिशत में) [ ]

3. पुनःक्रय चरण के लिए प्रतिफल की रकम (शब्दों में) रुपए .... रु.

हम आर बी आई को, यथास्थिति, मद आ(7) और / या इ (3) के अधीन यथा कथित, यथा विनिर्दिष्ट प्रति कन्ट्रा प्रतिफल की राशि को हमारे ऊपर उल्लिखित एसजीएल खातों में नामे डालने/जमा करने और इस प्रयोजन के लिए रखे गए हमारे चालू खातों में नामे डालने/जमा करने और उनमें जमा करने/नामे डालने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

तारीख .... को हस्ताक्षरित ....
....

....
अंतरक (कों) के हस्ताक्षरः

....
अन्तरिती (तियों) के हस्ताक्षरः

पी ए एन/जी आई आर सं. ....

पी ए एन/जी आई आर सं. ....

(इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने की दशा में अन्तरक और अंतरिती के एसजीएल खाते और चालू खाते के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के वास्तविक हस्ताक्षरों के स्थान पर अंकक चिन्हक रखे जाएंगे)

'टिप्पण -

1. प्ररूप, अंतरण प्ररुप पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् एक कार्य दिवस के भीतर और व्यवस्थापन की तारीख को या इसके पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके न हो सकने पर, यह अस्वीकार किए जाने का दायी होगा
2. प्ररुप में सभी अनुदेशों का अनुपालन किया जाना चाहिए जिसके न हो सकने पर, प्ररुप अस्वीकार किए जाने का दायी होगा
3. चालू लेखा, जो आदेश के अनुसार एसजीएल लेखा को नामित उससे संबंद्ध है, चलाया जाएगा।
4. रिपो संव्यवहार की दशा में, यह प्ररुप उपरोक्त मद (ग) के अधीन दिए गए ब्यौरों के अनुसार संव्यवहार का पुनः क्रय करने के लिए समझा जाएगा।
5. संघटकों की ओर से संचालित संव्यवहारों को तत्काल प्रधान (एसजीएल खाता धारकों) के पास रखे गए संघटक के खाते में लाया जाना चाहिए ।'

[फा. सं. 4(5)-पीडी/98]
डी. स्वरूप, अपर सचिव (बजट)

पाद टिप्पण.— मूल नियम तत्कालीन वित्त विभाग की अधिसूचना सं.9(1)बी/46, दिनांक 20.04.1946 द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित किए गए थे और ऐसा अंतिम संशोधन सा.का.नि. 599 (अ) दिनांक 22.08.2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2001

G.S.R. 812(E).— Whereas the draft rules further to amend the Public Debt Rules, 1946 were published, as required by sub-section (1) of section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), vide G.S.R. 581 (E) and G.S.R. 598 (E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i) dated the 6th August, 2001 and 22nd August, 2001 respectively inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 7th August, 2001 and 23rd August, 2001;

And whereas, no objections or suggestions were received from the public on the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Debt Rules, 1946, namely:-

1. (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 2001.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Debt Rules, 1946, for Form III, the following shall be substituted, namely:-

"Form III
(See rule 7)

(To be used for all SGL trades including electronic based trades)

Form of Transfer for Stock held in the Reserve Bank of India (RBI) in the Subsidiary General Ledger (SGL) Account relating to Government Securities

Seller's Reference Number [ ] Buyer's Reference Number [ ]

(A) Securities Transfer

1. Name(s) of the Transferor (Seller) _____ SGL A/c. (To debit) [ ]

2. Name(s) of the Transferee (Buyer) _____ SGL A/c. (To credit) [ ]

3. If sale is on behalf of the constituent. Name of the Constituent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. If purchase is on behalf of the constituent, Name of the Constituent _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. Securities Particulars

Sl. No.	Nomenclature of the Security	ISIN	Face Value (In Rs.)	Sale Price of the security (in percent)	Total Cost of security (In Rs.) (Sale Price/100 x Face Value)	Accrued Interest (Rs.)

(B) Transaction Details- Applicable for both outright and first leg of Repo transactions

1. Type of transaction- Outright/Repo _____ 2. Is it RBI or inter-bank Repo _____

3. Date of Contract _____ 4. Date of Settlement _____

5. Income tax, if any, (Rs.) _____ 6. Other payments, if any, (Rs.) _____

7. Consideration Amount (In words) Rupees _____ Rs. _____

	Broker Code	Brokerage Amount
6. For Buyer	_____	Rs. _____
7. For Seller	_____	Rs. _____

(C) Details in respect of Repo transactions

1. Date of Repurchase (2nd Leg) _____ 2. Repurchase agreement rate (in percent) _____

3. Consideration Amount for Rapurchase leg (In words) Rupees _____ Rs. _____

We hereby authorise RBI to debit/credit our above referred SGL Accounts and credit/debit our current accounts designated for the purpose with the amount of consideration as stated under item B(7) and/or C (3), as the case may be, per contra as specified.

Signed on the _____ day of the month of _____ of the year _____ _____

_____ _____

Signature(s) of transferor: Signature(s) of transferee

PAN/GIR No; _____ PAN/GIR No. _____

(In case of electronic submission, Digital signatures of the authorized officials for SGL Account and Current Account of transferor and transferee will replace physical signatures)

Notes:-

1. The form should be submitted to RBI within one working day after the date of signing the transfer form and on or before the settlement date, failing which, it is liable to be rejected.
2. All the instructions in the form should be complied with, failing which the form is liable to be rejected.
3. The Current Account designated/linked to the SGL Account as per the mandate will be operated.
4. In case of REPO transactions, this form will be considered for effecting the repurchase leg of the transaction as per the details given under item (C) above.
5. The transactions conducted on behalf of the constituents should be given effect to in the constituents' account maintained with the principal (SGL Account holder) immediately".

[F. No. 4(5)-PD/98]
D. SWARUP, Addl. Secy. (Budget)

Foot note:- The Principal rules were published by the erstwhile Finance Department vide Notification No.9(1)B/46, dated 20.04.1946 and amended from time to time and last such amendment was published vide G.S.R. 599(E), dated 22.08.2001.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054